आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ● अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ● जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक. अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/प्रे. 641 जयपुर, दिनांकः 01.10.2014

कार्यालय आदेश – 14/26

वितरण निगमों की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की सतर्कता जांचें अंतिम निस्तारण हेतु लम्बित है इस संदर्भ में वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के दौरान सभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर लम्बित सतर्कता जांचों के निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियो को निम्न निर्देश दिये जाते है :-

1 इस वित्तीय वर्ष में अंतिम निस्तारण हेतु लम्बित सभी सतर्कता जांचों का निस्तारण 30 अक्टूबर,14 तक कर दिया जावे।

2 दिनांक 31.03.2014 के पूर्व से लम्बित सतर्कता जांचों का निस्तारण 30 नवम्बर,14 तक कर दिया जावे।

3 ऐसे लम्बित प्रकरण जिनमें सतर्कता जांचों के दौरान यदि विद्युत चोरी पाई गयी है तो यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया हो। विच्छेदित कनेक्शन करने के बाद भी यदि उपभोक्ता ने प्रश्मन एवं सिविल लाईविलिटी नहीं जमा कराई है तो ऐसे स्थलों की पुनः सतर्कता जांच की जावे एवं पुनः विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 138 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे।

4 निस्तारण हेतु लम्बित सतर्कता जांचों में मॉल प्रैक्टिस पकड़े जाने की स्थिति में मांग राशि का नोटिस देकर राशि को सीसीएण्डएआर में दर्ज कर बिलिंग सुनिश्चित की जावे।

5 अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता)/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि सतर्कता जांच करते ही जांच अधिकारी विद्युत चोरी पाये जाने पर तुरंत प्रभाव से विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करावें एवं एक कार्य दिवस में प्रश्मन राशि एवं सिविल लाईविलिटी राशि जमा कराने हेतु उपभोक्ता को नोटिस जारी करते हुए यह भी सूचित किया जाए कि उनका कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया है। प्रश्मन राशि एवं सिविल लाईविलिटी राशि जमा न कराने पर तुरंत प्रभाव से एफ.आई.आर. कराई जावे। मॉल प्रैक्टिस पकड़े जाने की स्थिति में मांग राशि का नोटिस देकर राशि को सीसीएण्डएआर में दर्ज कर बिलिंग सुनिश्चित की जावे।

6 आगामी समीक्षा बैठकों में सतर्कता जांचों के अंतिम निस्तारण की समीक्षा निम्न श्रेणियाों में विभाजित कर की जावेगी।

ए – 100 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण
बी – 100 प्रतिशत से कम व 80 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निस्तारण
सी – 80 प्रतिशत से कम व 60 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निस्तारण
डी – 60 प्रतिशत से कम प्रकरणों का निस्तारण

7 सतर्कता जांचों के लम्बित प्रकरणों चाहे वे उपभोक्ताओं से संबंधित हों या गैर उपभोक्ताओं से अथवा चोरी के प्रकरण हों या मॉल प्रेक्टिस के हों, अंतिम निस्तारण के लिए बकाया प्रकरणों के लिए श्रेणीवार निम्न अधिकारी उत्तरदायी होगे। चोरी के

प्रकरणों में कनेक्शन विच्छेदित कराना, राजस्व का आंकलन कर नोटिस देना व एफ.आई.आर. कराने हेतु पवस/सतर्कता अधिकारी एवं राजस्व आंकलन व वसूली के लिए लेखा अधिकारी तथा एफ.आई.आर. दर्ज करने, जांच करने, गिरफ्तारी करने एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होगें व अंतिम निस्तारण हेतु बकाया प्रकरणों को शीघ्रता से कराने के लिए व्यक्तिशः कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

बी – 20 प्रतिशत तक बकाया के लिए लेखाकार, सहायक अभियन्ता (पवस/सतर्कता)/ एसएचओ(एपीटीपीएस)

सी– 20 –40 प्रतिशत तक बकाया के लिए लेखाधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता अभियन्ता (पवस/सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता)

डी – 40 प्रतिशत से अधिक बकाया के लिए वरिष्ठ लेखााधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता (पवस/सतर्कता)/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)

8 अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) व अति.पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) साप्ताहिक प्रगति लक्ष्य अनुरूप सुनिश्चित करेगें।

9 निदेशक (तकनीकी) निगम स्तर पर सतर्कता जांचों के अंतिम निस्तारण के कार्य की मासिक समीक्षा करेगें।

10 उपरोक्त ए, बी, सी, डी श्रेणीवार सतर्कता जांचों के अंतिम निस्तारण के कार्य की स्थिति के अनुरूप ही सभी संबंधित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में आंकलन परिलक्षित होगा।

1/10/2015

(आर.जी.गुप्ता)

अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी),जयपुर/ अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,
3. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।

1/10/15

(टी.एस.शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशन हेतु।

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,................
2. **अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता)**, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,................
3. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)**, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ...

1/10/15

अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)